



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: 293 / 12-1 दिनांक 31 / 7 / 2018

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर, कीर्तिनगर।

हाथरी संख्या... 1413
फाइल नं... 338
दिनांक... 7-8-19

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़-रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.4875 हे० के प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/17623/2016 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक संख्या-3362 / FP/UK/ROAD/17623/2016 दिनांक 13-06-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है में कतिपय अधिरोपित शर्तों के अधीन जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। भारत सरकार के पत्र संख्या-08बी/यू०सी०पी०/०६/२१/२०१६/एफ०सी०/५३१ दिनांक ०४-०६-२०१९ में दी गयी शर्तों के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1- शर्त संख्या-०१ के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा ग्राम-झनाऊ की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु मु० ०९,११,९३०.०० धनराशि जमा करनी होगी। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-क-९७२/३-५-२(II) दिनांक २१-११-२०१७ के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष २०१८-१९ हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण -

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि -	1.4875 X 2 = 2.975 हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे०-	3,06,531.00 प्रति हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि-	2.975 X 3,06,531.00 = 09,11,929.73
	या 09,11,930.00

1.1 शर्त संख्या-१.१ के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम-झनाऊ की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल २.९७५ हे० है को भारतीय वन अधिनियम १९२७ के तहत छः माह के अन्तर्गत वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।

2- शर्त संख्या-०२ के अनुपालन में एन०पी०वी० के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा १.४८७५ हे० हेतु @ ८,४५,०००.०० प्रति हे० की दर से मु० १२,५६,९३८.०० धनराशि जमा करनी होगी। एन०पी०वी० की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

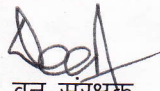
एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

“प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५-०२-२००९ में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है” :-

ईको-क्लास श्रेणी-	V
हरियाली का घनत्व-	0.40 MDF
एन०पी०वी की दर प्रति हे०-	मु० ८,४५,०००.०० (आठः लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-	1.4875 हे०
कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि-	1.4875 हे० X ८,४५,०००.०० = १२,५६,९३८.००

- 3- शर्त संख्या- 03 के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
- 4- शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0बी0) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जेनरेट होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।
- 5- बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ तक सम्भव हो मार्ग के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता का प्रमाण पर प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये ऑनलाईन भी अपलोड करने का कष्ट करें।

✓ 
उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
₹